C

**मो0 तनवीर आलम तारिक, मुख्य अभियंता–4 (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–02.03.2020 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में प्रशाखा–13 से संबंधित मासिक लेखा ससमय महालेखाकार कार्यालय को समर्पित नहीं किये जाने एवं त्रुटिपूर्ण मासिक लेखा के निराकरण हेतु समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–**

उपस्थिति :–

श्री शिव प्रताप सिंह, सहायक अभियंता, मु0अ0–4, सदस्य

1. **ग्रामीण कार्य विभाग के कार्य प्रमण्डलों से संबंधित मासिक लेखा ससमय समर्पित नहीं किये जाने एवं कार्य प्रमण्डलों द्वारा समर्पित मासिक लेखा जो त्रुटिपूर्ण है, उसके निराकरण हेतु तथा कार्य प्रमण्डलों के लेखा में दिनांक–31.03.19 तक उपलब्ध सत्यापित अंतशेष के CFMS में प्रविष्टी से संबंधित मामले के संबंध में विभागीय स्तर पर मुख्य अभियंता–4 के अध्यक्षता में बैठक की गई।**

2. ग्रामीण कार्य विभाग के सभी कार्य प्रमण्डलों द्वारा महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना से **लेखा में दिनांक–31.03.19 तक उपलब्ध सत्यापित अंतशेष के CFMS में प्रविष्टि से संबंधित** सत्यापन कराया जा चुका है। जिसकी प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित किया जा चुका है।

3. सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0–8719 दिनांक–30.11.2018 से प्राप्त पत्र जो **कार्य प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–1/ मुजफ्फरपुर पश्चिम एवं सिवान–1 के अन्तर्गत समायोजन लंबित रहने** से संबंधित है जिसके आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर पश्चिम के पत्रांक–979 दिनांक–31.07.19, मुजफ्फरपुर पूर्वी–1 के पत्रांक–01, कैम्प, पटना दिनांक–01.08.19 द्वारा अपना प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया है। जिसमें साक्ष्य संलग्न नहीं रहने के कारण निदेश दिया गया था कि इस मामले के संबंध में सुस्पष्ट प्रतिवेदन मन्तव्य एवं साक्ष्य सहित अगली बैठक में उपस्थित होकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे जो कि अभी तक अप्राप्त है।

4. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, सिवान–1 द्वारा इस मामले में अपना कोई भी प्रतिवेदन समर्पित नहीं किये जाने के कारण पुनः अंतिम रूप से निदेश दिया जाता है कि अपने स्पष्टीकरण के साथ सुस्पष्ट प्रतिवेदन मन्तव्य एवं साक्ष्य सहित अगली बैठक में उपस्थित होकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

**विदित हो कि कार्य प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर पश्चिम अन्तर्गत एक पदाधिकारी जिन्हे 5.14860 लाख रू0 अग्रिम दिया गया है, जो लंबित है। कार्य प्रमण्डल, सिवान–1 अन्तर्गत एक पदाधिकारी जिन्हे 3.03896 लाख रू0 अग्रिम दिया गया है, जो लंबित है तथा कार्य प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–1 अन्तर्गत पॉच पदाधिकारी जिन्हे 3.22750 लाख रू0 अग्रिम दिया गया है, जो लंबित है।**

**संदर्भित मामले में पुनः अंतिम रूप से निदेश दिया जाता है कि इस मामले से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य के साथ एक सप्ताह के अन्दर विशेष दूत के माध्यम से उपलब्ध कराया जाय, ताकि वांछित प्रतिवेदन वित्त विभाग, बिहार, पटना को समर्पित किया जा सके। अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।**

5. ससमय मासिक लेखा का निराकरण नहीं होने के कारण सभी कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया है कि **बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता के नियम 542 के निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्य विभाग का मासिक लेखा आगामी माह की 10वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाना है।** इस संबंध में विभागीय स्तर से निरन्तर सभी कार्य प्रमण्डलों को निदेशित किया जाता रहा है। तथापि कई कार्य प्रमण्डलों द्वारा लंबित मासिक लेखा का निराकरण नहीं किया जाना खेदजनक है। निदेश दिया जाता है कि अपने–अपने कार्य प्रमण्डलों से संबंधित मासिक लेखा का निराकरण तीन दिनों के अन्दर करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया जाय। संदर्भित मामले में अगली बैठक मुख्य अभियंता–4 (मु0), ग्रा0का0वि0, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में **अगले माह के दिनांक–07.04.20 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में इसकी समीक्षा की जायेगी।** सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रा0का0वि0 / सभी प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी, ग्रा0का0वि0, बिहार उक्त बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/- 05/03/2020

मुख्य अभियंता–4

ज्ञापांक–13 / अ0प्र0–8–15 / 17 1558 पटना, दिनांक– 6.3.2020

प्रतिलिपिः– सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रा0का0वि0 / सभी प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी, ग्रा0का0वि0, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 05/03/2020

मुख्य अभियंता–4

ज्ञापांक–13 / अ0प्र0–8–15 / 17 1558 पटना, दिनांक– 6.3.2020

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता–4 (मु0), ग्रा0का0वि0 / श्री शिव प्रताप सिंह, सहायक अभियंता, मु0अ0–4, एवं श्री विनोद कुमार नागवंशी, प्रशाखा पदाधिकारी–13, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 05/03/2020

मुख्य अभियंता–4

ज्ञापांक–13 / अ0प्र0–8–15 / 17 1558 पटना, दिनांक– 6.3.2020

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 05/03/2020

मुख्य अभियंता–4